पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांकः 2004 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 06.11.2026

कार्यालय ज्ञाप

सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पुनरीक्षित पेंशनरी लाभों/देयकों के निर्धारण/भुगतान विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 1650/मा0सं0एव0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0 446512/XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक 05 नवम्बर, 2026 की अनुरूपता में ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जिन्हें पिटकुल से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01 जुलाई, 2026 से 60 (साठ) प्रतिशत के स्थान पर 63 (तिरसठ) प्रतिशत मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अग्रेत्तर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 2004 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. निदेशक, लेखा हकदारी, उत्तराखण्ड शासन, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
7. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी–II), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत् आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी, पिटकुल.....।
9. कट फाइल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)